न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/8 **दायरा दिनांक : 09.01.2023**

उनवान

पुरूषोत्तम पुत्र श्री धन्नालाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम नलका, तहसील बारां, जिला बारां
.... अपीलांट

बनाम

1– मदन मोहन पुत्र श्री नाथूलाल जी, जाति ब्राहमण
2– किशनगोपाल पुत्र गोपी वल्लभ जी, जाति ब्राहमण
3– श्याम सुन्दर पुत्र श्री गोपी वल्लभ जी, जाति ब्राहमण
निवासीगण नलका, तहसील बारां, जिला बारां
4– दी स्टेट आफ राजस्थान
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 14.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 40/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम नलका, तहसील बारां के माल में आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 242 रकबा 0.39 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पुराना खसरा नम्बर 230 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जो कागजात भू–राजस्व में प्रतिवादी कम 1 मदनलाल पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 2 किशनगोपाल पुत्र गोपीबल्लभ हिस्सा 1/3, एवं श्यामसुन्दर पुत्र गोपीबल्लभ प्रतिवादी कंम 3 हिस्सा 1/3 से दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 23.09.2022 से वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी, बारां कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पो० के विरूद्ध पेश किये गये वाद बाबत हक घोषणा खातेदारी खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि दावा दायरी से पूर्व 50 वर्षों से भी अधिक समय से वादी के पिता के समय से ही प्रतिवादीगण के पूर्व हक अधिकारियों एवं प्रतिवादीगण की जानकारी में वादी एवं वादी के पूर्व हक अधिकारी इस भूमि पर अपने आपको मालिक खातेदार मानकर काबिज चले आ रहे हैं और बाई आपरेशन आफ लॉ भूमि के कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये हैं। वादी के पिता के समय से ही इस भूमि पर उनका प्रतिवादीगण के विरूद्ध होस्टाईल पजेशन चला आ रहा है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी अपीलान्ट भूमि का खातेदार टीनेन्ट बन गया है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय को वादी का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी करना चाहिये था। वादी के पिता का पूर्व से कब्जा होने की पुष्टि राजस्व रेकार्ड से बहैसियत जैली उनका नाम दर्ज होने से भी होती है। प्रतिवादीगण का करीब 65 वर्षों से भूमि पर कब्जा नहीं रहा है और कानूनन उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज एवं मौखिक शहादत को एप्रीशियेट किये बिना ही निर्णय एवं डिकी पारित करने में त्रुटि की है। वादी ने अपनी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

शहादत से यह पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है कि वह वाद पत्र में अंकित ग्राम नलका, तहसील बारां की साबिक ख० नं० 230 की 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान ख० नं० 242 रकबा 0.39 हैक्टर है कानूनन तनहा खातेदार टीनेन्ट बन गया है। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रतिवादीगण ने कोई उपस्थिति नहीं दी है इससे यह भी प्रमाणित होता है कि उनका इस भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे तथा दावा वादी अपीलान्ट खिलाफ प्रतिवादीगण रेस्पों० डिकी किया जाकर वाद पत्र में वर्णित ग्राम नलका, तहसील बारां की ख० नं० 242 रकबा 0.39 हेक्टर भूमि का वादी को तनहा खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का करीब 65 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट ने सन् 2004 से बिजली कनेक्शन होने का स्टेटमेन्ट एवं बिजली के बिल पेश किये है जो राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2019 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 927, 2009–10 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 255, 2008 (2) आर.आर.टी. पेज 799 (एच.सी.) व 2004 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 3782 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा 2019 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 927, 2009–10 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 255, 2008 (2) आर.आर.टी. पेज 799 (एच.सी.) व 2004 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 3782 की नजीरे पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमारे द्वारा बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नलका सम्वत 2063–2066 खाता संख्या 109 के अनुसार प्रतिवादी कम 1 ता 3 के हिस्सा 1/3, 1/3 खातेदारी में दर्ज है, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–2035 के अनुसार प्रतिवादी कम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज है। सम्वत 2033 में धन्नालाल जैली काश्त होना दर्ज है। वादी द्वारा मात्र सम्वत 2033–2035 की खसरा गिरदावरी पेश की है इसके अलावा वादी द्वारा कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है, मात्र एक खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा संवत 2032–2035 की खसरा गिरदावरी पेश की है जिसमें अपीलांट जैली काश्त होना दर्ज है। इस गिरदावरी में जैली के रूप में नाम दर्ज होने के आधार पर अपीलांट द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं। अपीलांट द्वारा 50 वर्ष के कब्जे बाबत कथन किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलांट का 50 वर्ष का कब्जा काश्त होना सिद्ध नहीं होता। मात्र संवत 2032–2035 की एक खसरा गिरदावरी में जैली दर्ज होने से अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त होना सिद्ध नहीं होता। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से हम इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 14/5/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– पुरूषोत्तम पुत्र श्री धन्नालाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम नलका, तहसील बारां, जिला बारां राज0

बनाम

1– मदनमोहन पुत्र श्री नाथूलाल जी, जाति ब्राहमण
2– किशनगोपाल पुत्र गोपी वल्लभ जी, जाति ब्राहमण
3– श्याम सुन्दर पुत्र श्री गोपी वल्लभ जी, जाति ब्राहमण
निवासीगण नलका, तहसील बारां, जिला बारां
4– दी स्टेट ऑफ राजस्थान

.... **अपीलांट्स**

.... **रेस्पोडेंट्स**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **23.09.2022**

अपील नं **2023/8**
मु.द.नं0 **40/2011**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **29 माह 04** सन् **2024**

श्री **सुरेन्द्र माहेश्वरी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **14 माह 05 सन् 2024** को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)